

05/23

आमन्दा दिनांक 05.1.23 को पेश हो।
पत्रावली पेश हुई वकील पार्थी को अप्रार्थी
गण को नोटिस तामील करवाने हेतु बार-बार
आवसर मिले जाने के उपरान्त भी नोटिस तामील
नहीं करवाने पर पत्रावली आदेश 9 मित्रम
5 सी पी सी के तहत खारीज की जाती है।
पत्रावली केबल शुमार होकर नम्बर सै कम
की जाकर दाखील दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी, चिडवा